

[2023] 3 एस. सी. आर. 820

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

ए.

अशोक गुलाबराव बांड्रे

बी.

विलास मधुकराव देशमुख और अन्य (2011 की आपराधिक अपील संख्या 1931)

बी.

12 अप्रैल, 2023

[बी. आर. गवई और संजय करोल, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.195-सबूत दाखिल करने से पहले कथित रूप से गढ़े गए और जाली दस्तावेज, यू/एस पर प्रतिबंध लगाते हैं। 195 यदि लागू हो-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:s.195 (1) (बी) (ii) केवल तभी आकर्षित होगा जब उक्त प्रावधान में गिना गया अपराध किसी दस्तावेज के संबंध में किसी अदालत के समक्ष कार्यवाही के दौरान पेश किए जाने या साक्ष्य में दायर किए जाने के बाद किया गया था, यानी उस समय के दौरान जब दस्तावेज वैध होता है-ऐसे मामले में, न्यायालय केवल वादी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर अपराध का संज्ञान लेने का हकदार होगा-आक्षेपित निर्णय और पुनरीक्षण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश-अपीलार्थी की शिकायत पर अपने गुण-दोष पर विचार करने के लिए जे. एम. एफ. सी. को वापस भेजा गया मामला।

सी.

डी.

इकबाल सिंह मारवा और एक अन्य बनाम मीनाक्षी मारवाह

और एक और (2005) 4 एससीसी 370:[2005] 2 एस. सी. आर. 708-अनुसरण किया गया।

ई.

सुरजीत सिंह और अन्य बनाम बलबीर सिंह **(1996) 3 एस. सी. सी. 533:[1996] 3 एससीआर 70;** सच्चिदानंद सिंह और एक अन्य बनाम बिहार राज्य और एक अन्य **(1998) 2 एससीसी**

493 :[1998] 1 एस. सी. आर. 492-संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

एफ.

[2005] 2 एससीआर 708

पीछा किया।

पैरा **11**

[1996] 3 एससीआर 70

पैरा **16** को संदर्भित किया गया

जी.

[1998] 1 एससीआर 492

पैरा **17** को संदर्भित किया गया

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2011 की आपराधिक अपील सं. 1931।

2009 के सी. आर. एल. ए. संख्या 3121 में नागपुर में बॉम्बे बेंच में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 18.02.2010 से।

एच.

820 ए.

821

अशोक गुलाबराव बोंड्रे बनाम विलास मधुकराव देशमुख और अन्य ए

सुश्री अनघा एस. देसाई, सचिन पाटिल, सत्यजीत ए. देसाई, सिद्धार्थ गौतम, गजानन एन. तीर्थकर, अभिनव के. मुत्यालवार, युगांत ढिल्लन, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

राहुल चिटनिस, सुश्री श्वेतल शेपाल, आदित्य कुमार, चंदर शेखर अशरी, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, भारत बागला, सौरव सिंह, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. अपील एक बहुत ही संकीर्ण कैनवास पर उत्पन्न होती है।

सी.

2. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थागण के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रत्यर्थागण ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, आई. पी. सी.) की धारा 34 के साथ पठित धारा 191, 192, 196, 463, 464, 465, 467, 470 और 471 के तहत दंडनीय अपराध किया था।

3. अपीलार्थी द्वारा लगाया गया मुख्य आरोप यह है कि प्रत्यर्था संख्या 2-रामप्रसाद पंचेश्वर ने 2003 के आपराधिक मामले संख्या 19 में झूठे और जाली दस्तावेज तैयार किए थे, अर्थात् व्यक्तिगत पहचान बांड और जमानत बांड और बाकी प्रत्यर्थागणों ने साजिश रची और कथित दस्तावेजों को जाली बनाने के लिए प्रत्यर्था संख्या 2 की सक्रिय रूप से मदद की। 4. यह अपीलार्थी का मामला है कि उन दस्तावेजों को अंततः 2003 के आपराधिक मामले संख्या 19 में रिकॉर्ड पर दायर किया गया था, जो अपीलार्थी के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रामटेक (इसके बाद "जे. एम. एफ. सी". के रूप में संदर्भित) के समक्ष लंबित था।

डी.

ई.

5. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने 6 नवंबर 2004 के आदेश के माध्यम से शिकायत को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर पुनरीक्षण याचिका दायर की गई।

एफ.

6. ज्ञात अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नागपुर ने 14 मार्च 2005 के आदेश के माध्यम से कहा है कि ऐसी शिकायत संबंधित न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के लिखित रूप में दायर नहीं की जा सकती थी, वह भी एक अधीनस्थ न्यायालय।

जी.

7. तथापि, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पाया कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के थे, और इसलिए, निर्देश दिया कि यदि अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 340 (संक्षेप में, "Cr.P.C") के तहत कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो विद्वान जे. एम. एफ. सी. एक उपयुक्त प्रारंभिक जांच करेगा और

एच.

822

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

इसके बाद, उस प्रभाव के लिए उसके निष्कर्ष को दर्ज करें जैसा कि Cr.P.C की धारा 340 के तहत विचार किया गया है।

8. पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश को अपीलार्थी द्वारा Cr.P.C की धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। इसे खारिज कर दिया गया। इसलिए, वर्तमान अपील।

बी.

9. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सचिन पाटिल और प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल चिटनिस और श्री आदित्य अनिरुद्ध पांडे को सुना है।

10. श्री सचिन पाटिल प्रस्तुत करते हैं कि कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान कथित जालसाजी नहीं की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह अपीलार्थी का तर्क है कि प्रत्यर्थीगण ने पहले दस्तावेजों को जाली बनाया था और अपीलार्थी के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही में उनका उपयोग किया था। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि Cr.P.C की धारा 195 का प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

सी.

डी.

11. श्री सचिन पाटिल ने संविधान के निर्णय पर भरोसा किया है।

इकबाल सिंह मारवा और एक अन्य बनाम मीनाक्षी मारवाह और एक अन्य 1 के मामले में इस न्यायालय की पीठ।

12. श्री सचिन पाटिल ने आगे कहा कि हालांकि संविधान पीठ के फैसले को उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उद्धृत किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे सही परिप्रेक्ष्य में नहीं माना।

ई.

13. श्री राहुल चिटनिस, इसके विपरीत, प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी पहले ही पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्वीकार कर चुका है और विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष Cr.P.C की धारा 340 के तहत एक आवेदन दायर कर चुका है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान अपील में दी गई अंतरिम राहत के कारण उक्त आवेदन को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। वे प्रस्तुत करते हैं कि इस प्रकार, वर्तमान मामले में शामिल प्रश्न विशुद्ध रूप से एक अकादमिक प्रश्न है जिसमें न्यायालय को नहीं जाना चाहिए।

एफ.

14. श्री आदित्य अनिरुद्ध पांडे, श्री राहुल चिटनिस द्वारा की गई प्रस्तुति का समर्थन करते हैं।
जी.

15. जिस संकीर्ण प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या Cr.P.C की धारा 195 के तहत प्रतिबंध तब लागू होगा जब यह आरोप लगाया जाता है कि जिन दस्तावेजों की मांग की गई है,

1 (2005) 4 एससीसी 370 ए

एच.

823

अशोक गुलाबराव बोंड्रे बनाम विलास मधुकराव देशमुख और अन्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए जो साक्ष्य दाखिल करने से पहले से ही मनगढ़ंत और जाली थे।

16. यह न्यायालय, सुरजित सिंह और अन्य बनाम बलबीर के मामले में

सिंह 2 ने इस प्रकार का दृष्टिकोण रखा था: “10. इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए, दस्तावेज, जालसाजी का आधार, यदि अदालत के समक्ष पेश किया जाता है या साक्ष्य में दिया जाता है, तो धारा 195 (1) (बी) (ii) के तहत संज्ञान लेने का प्रतिबंध आकर्षित हो जाता है और आपराधिक अदालत को अपराध का संज्ञान लेने से तब तक प्रतिबंधित किया जाता है जब तक कि अदालत द्वारा या उसकी ओर से संहिता की धारा 340 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिखित में शिकायत दायर नहीं की जाती है। इस प्रकार इसका उद्देश्य न्याय प्रशासन की शुद्धता को बनाए रखना और पक्षकारों को न्यायिक प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने के लिए मजबूर या भयभीत किए बिना कुछ दस्तावेजों के प्रमाण में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देना है। धारा 195 का प्रतिबंध इसके तहत आने वाले अपराध का संज्ञान लेना है।”

बी.

सी.

डी.

17. तत्पश्चात, यह न्यायालय, सच्चिदानंद सिंह के मामले में

और एक अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य 3 ने इस प्रकार विचार लिया:

“11. संहिता की धारा 340 (1) में परिकल्पित प्रारंभिक जांच का दायरा यह पता लगाने के लिए है कि क्या न्याय के प्रशासन को प्रभावित करने वाला कोई अपराध अदालत में पेश

किए गए दस्तावेज़ के संबंध में किया गया है या उस अदालत में कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में दिया गया है। दूसरे शब्दों में, अपराध उस समय किया जाना चाहिए था जब दस्तावेज़ न्यायिक हिरासत में था।

ई.

12. यह एक तनावपूर्ण सोच होगी कि किसी दस्तावेज़ की जालसाजी से जुड़ा कोई भी अपराध यदि न्यायालय के परिसर से बहुत बाहर और न्यायालय में पेश किए जाने से बहुत पहले किया जाता है, तो उसे न्याय के प्रशासन को केवल इसलिए प्रभावित करने वाला अपराध माना जा सकता है क्योंकि वह दस्तावेज़ बाद में अदालत के रिकॉर्ड तक पहुँच गया था।

एफ.

*

*

*

जी.

23. उपरोक्त चर्चा का क्रम यह है कि संहिता की धारा 195 (1) (बी) (ii) में निहित बाधा उस मामले में लागू नहीं होती है जहां दस्तावेज़ को अदालत में पेश करने से पहले दस्तावेज़ की जालसाजी की गई थी।”

2 (1996) 3 एससीसी 533 3 (1998) 2 एससीसी 493

एच.

824

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

18. आई. डी. 1 की धारा 195 की व्याख्या के संबंध में लिए गए दो परस्पर विरोधी विचारों को देखते हुए, प्रश्न को इकबाल सिंह मरवा (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ को भेजा गया था। उक्त निर्णय के अनुच्छेद 7 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो निम्नानुसार है:

“7. एक सादे पठन पर धारा 195 की उप-धारा (1) का खंड (बी) (ii) दो व्याख्याओं में सक्षम है। एक संभावित व्याख्या यह है कि जब धारा 463 में वर्णित या भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 471, धारा 475 या धारा 476 के तहत दंडनीय अपराध किसी दस्तावेज़ के

संबंध में किया गया है, जिसे बाद में किसी भी अदालत में कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत या दिया जाता है, तो अदालत द्वारा शिकायत आवश्यक होगी। दूसरी संभावित व्याख्या यह है कि जब कोई दस्तावेज किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही में पेश किया गया है या साक्ष्य के रूप में दिया गया है और उसके बाद उसके संबंध में उपरोक्त के रूप में वर्णित अपराध किया जाता है, तो न्यायालय द्वारा शिकायत की आवश्यकता होगी। इस व्याख्या पर यदि धारा में वर्णित अपराध न्यायालय में दस्तावेज को पेश करने या साक्ष्य देने से पहले किया गया है, तो न्यायालय द्वारा किसी शिकायत की आवश्यकता नहीं होगी और एक निजी शिकायत बनाए रखने योग्य होगी। जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि अधिनियम की योजना और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों में से किस व्याख्या को स्वीकार किया जाना चाहिए।”

बी.

सी.

डी.

ई.

19. उपरोक्त का अवलोकन करने और Cr.P.C की धारा 195 के तहत पूरी योजना पर विचार करने के बाद, इसी तरह Cr.P.C की धारा 340 के तहत भी, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

“33. ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि सच्चिदानंद सिंह का निर्णय सही है और उसमें लिया गया दृष्टिकोण सही है। धारा 195 (1) (बी) (2) <आई. डी. 1. केवल तभी आकर्षित होगी जब उक्त प्रावधान में गिने गए अपराध किसी दस्तावेज के संबंध में किसी भी अदालत में कार्यवाही में पेश किए जाने या साक्ष्य में दिए जाने के बाद किए गए हों, यानी उस समय के दौरान जब दस्तावेज न्यायिक हिरासत में था।

एफ.

जी.

34. वर्तमान मामले में वसीयत को बाद में अदालत में पेश किया गया है। यह किसी का मामला नहीं है कि धारा 195 (1) (बी) (ii) में उल्लिखित कोई भी अपराध उक्त वसीयत के संबंध में जिला न्यायाधीश के न्यायालय में पेश या दायर किए जाने के बाद किया गया था।

एच.

825

अशोक गुलाबराव बोंड्रे बनाम विलास मधुकराव देशमुख और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

ए.

इसलिए, धारा 195 (1) (बी) (2) Cr.P.C द्वारा बनाई गई रोक लागू नहीं होगी और प्रत्यर्थागण द्वारा दायर शिकायत के आधार पर अपराध का संज्ञान लेने की न्यायालय की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से सही है और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करने की आवश्यकता है।”

बी.

20. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने असमान शर्तों पर यह अभिनिर्धारित किया है कि सच्चिदानंद सिंह (उपर्युक्त) के मामले में लिया गया दृष्टिकोण कि Cr.P.C की धारा 195 (1) (बी) (2) केवल तभी आकर्षित होगी जब उक्त प्रावधान में उल्लिखित अपराध किसी दस्तावेज के संबंध में किसी भी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान साक्ष्य में प्रस्तुत या दायर किए जाने के बाद किया गया था, यानी उस समय के दौरान जब दस्तावेज हिरासत में है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि जहां तक वसीयत, जिसके बारे में न्यायालय में पेश किए जाने से पहले कथित रूप से मनगढ़ंत होने का आरोप है, Cr.P.C की धारा 195 (1) (b) (ii) द्वारा बनाया गया प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

सी.

डी.

21. यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे मामले में न्यायालय केवल वादी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर ही अपराध का संज्ञान लेने का हकदार होगा।

22. मामले के उस दृष्टिकोण में, हम पाते हैं कि पुनरीक्षण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण टिकाऊ नहीं है।

ई.

23. पुनरीक्षण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

24. अपीलार्थी की शिकायत पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करने के लिए मामला तुरंत विद्वान जे. एम. एफ. सी., रामटेक को वापस भेज दिया जाता है। 25. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा लगभग एक दशक से लंबित है, हम विद्वान जे. एम. एफ. सी. से अनुरोध करते हैं कि वह अपीलार्थी की शिकायत पर योग्यता के आधार पर जल्द से जल्द और किसी भी मामले में आज से एक वर्ष की अवधि के भीतर निर्णय ले।

एफ.

26. हम आगे यह स्पष्ट करते हैं कि यह नहीं समझा जा सकता है कि हमने गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त की है और इसमें देखी गई किसी भी बात का मामले के गुण-दोष पर असर नहीं होना चाहिए।

जी.

27. अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है। 28. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

दिव्या पांडे

अपील का निपटारा किया गया।

एच.

(सहायक: रूपांशी विरंग, एलसीआरए)